तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज नजरसानी अपील डिक्री/3237/2004/बाड़मेर सालूराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

खण्डपीठ

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री के.के.पुरोहित, अभिभाषक प्रार्थी

श्री एस.पी.ओझा, राजकीय अभिभाषक

–आदेश–

दिनांकः– 26–06–2025

हस्तगत् नजरसानी प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा – 229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 254/1995 में पारित आदेश दिनांक 08–12–2000 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, सिवाना द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम मादिया के खेत खसरा नम्बर 845 रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा भूमि के बाबत् विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 (1) के तहत वादपत्र पेश किये जाने पर उक्त वादपत्र को स्वीकार किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध क्रमशः प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं मण्डल हाजा के समक्ष अपील पेश किये जाने पर मण्डल हाजा की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 08–12–2000 के माध्यम से अपील को खारिज किये जाने से व्यथित होकर उक्त नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों को नजरसानी प्रार्थना पत्र की ग्राहयता पर सुना गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि मण्डल की खण्डपीठ ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को ही पुष्ट किया है। स्वयं का का कोई निष्कर्ष अथवा विवेचना निर्णय में नहीं की गई है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष गफूर खाँ पुत्र मेराब खाँ आवश्यक पक्षकार था जिसकी मृत्यु दिनांक 31–08–1990 को दौराने वाद होने के कारण उनके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिये जाने के आधार पर दावा स्वमेव

अबेट हो चुका था। उक्त तथ्य के आधार पर विचारण न्यायालय का आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने एवं उक्त आशय का एतराज खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश को यथावत रखा गया है। उपरोक्त तथ्य के आधार पर माननीय न्यायालय का निर्णय पुर्नविचार करने योग्य है। इसी क्रम में उन्होनें आगे कथन किया दिनांक 11–09–1974 को मादिया सरगरा द्वारा आराजी जैर सविया पुत्र गुलाराम जाति भील को बेचान कर दी गई थी उसके उपरान्त धारा 175 आरटीएक्ट के दावे के विचारण के दौरान पुनः इसी भूमि का बेचान प्रार्थी सालुराम पुत्र जैसाराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29–06–1982 को करते हुए आराजी जैर का हस्तान्तरण किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती विक्रय धारा 42 आरटीएक्ट के प्रावधानों के विपरीत नहीं था। उक्त बिन्दु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परन्तु नजरसानीधीन आदेश में इस बिन्दु पर किसी प्रकार का कोई विवेचन एवं विश्लेषण अंकित नहीं किया गया है। जोकि स्पष्ट रूप से एरर अपरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ रिकार्ड की श्रेणी में होने से खण्डपीठ का आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य है। इसी प्रकार माननीय खण्डपीठ द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड पर विचार किये बिना उनका निर्णय में किसी प्रकार का कोई हवाला दिये बिना आदेश पारित किया गया है। उक्त आशय के आधार पर भी माननीय न्यायालय का आदेश पुनः विचार योग्य है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा मियाद के संबंध में कथन किया कि संबंधित अभिभाषक द्वारा तत्समय निर्णय की जानकारी प्रदान नहीं की गई व प्रार्थी अकाल के कारण अपने परिवार एवं पशुधन को लेकर गांव छोड़कर रोजीरोटी एवं पशुधन को बचाने के लिये राजस्थान से बाहर गुजरात चला गया था। कालान्तर में पुनः अपने गावं आने एवं अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके खिलाफ दिनांक 08–12–2000 को फैसला हो गया है। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा निर्णय आदि की नकल प्राप्त करने के पश्चात् जानकारी के दिन से अन्दर मियाद नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यो को दृष्टिगत् रखते हुए प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र ग्राहय किया जावे।

उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कहा कि अभिभाषक प्रार्थी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र में वही तथ्य उठाये है जो उन्होने दौरान बहस अपील में उठाये थे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती थे, जिनकी पुष्टि उभय पक्षों की सुनवाई के उपरान्त न्यायालय हाजा की खण्डपीठ द्वारा की गई है। नजरसानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि उजागर नहीं है, जिसमें नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज किया जावे।

उभय की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा मण्डल के आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को निर्णित करना उचित समझते है। मण्डल हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–12–2000 के विरूद्ध अपीलार्थी ने नजरसानी दिनांक 26–07–2004 को लगभग 04 वर्ष की देरी उपरांत प्रस्तुत की गयी है और धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में देरी बाबत् उल्लेख किया गया है जिसके समर्थन में अपीलार्थी स्वयं ने अपना शपथ–पत्र मय अगूठा निशानी प्रस्तुत किया है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी एक ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति है और उसके द्वारा प्रार्थनापत्र में उल्लेखित किए गए कारण भी सारभूत प्रतीत होते है। इसके विपरीत अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर नजरसानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

प्रकरण में जहां तक नजरसानी प्रार्थनापत्र के गुणावगुण का प्रश्न है, प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा हमारे समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र के माध्यम से वही तथ्य दोहराये गये है जो अपील के समय एवं बरवक्त बहस उठाये गये थे। प्रकरण में जहाँ तक नजरसानी का आधार कि गफूर की मृत्यु दौराने वाद हो चुकी थी। उक्त आशय का कथन प्रार्थी द्वारा अपील के माध्यम से किया जा चुका था तथा मण्डल की खण्डपीठ द्वारा निर्णय के मद संख्या 6 में उपरोक्त तथ्य विवेचन अंकित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्ववर्ती एवं दौराने वाद विक्रय किये जाने के आधार पर धारा 42 (ख) के उल्लंधन नहीं होने का प्रश्न है, इस संबंध में भी न्यायालय हाजा की खण्डपीठ द्वारा विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण नजरसानीधीन आदेश में अंकित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाये कि मण्डल की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश में प्रथम दृष्टया अभिलेख पर दिखाई देने वाली ऐसी कौनसी त्रुटि है जिसके आधार पर वह एकल पीठ के पारित निर्णय में नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप कराना चाहते है। प्रार्थी पक्ष द्वारा वर्तमान नजरसानी प्रार्थनापत्र में जो तथ्य एवं आधार लिये गये हैं वे सभी तथ्य एंव आधार प्रार्थी की नजरसानी को स्वीकार कराने हेतु सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ–455 ‘‘श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी’’ में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि :–"Review- 'Error apparent on face of record' - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरेन्द्र कुमार वकील के प्रकरण 2005 (1) RRT 545 (SC) में यह प्रतिपादित किया गया है

कि:–*"A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous."*

इस प्रकार नजरसानी बाबत समय समय पर उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा विधि की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है कि गलत निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है। नजरसानी द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है अपितु अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान खण्डपीठ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अध्ययन करने के पश्चात आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे समक्ष आलौच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि अथवा नया तथ्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये जिससे आलौच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। वैकल्पिक रूप से यह भी स्पष्ट है कि आदेश को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि ही नजरसानी का आधार हो सकती है अन्यथा नहीं और ऐसा निर्णय नजरसानी के सीमित दायरे में नहीं आता है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि विद्वान खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–12–2000 गलत (erroneous) है तो गलत निर्णय को भी नजरसानी का आधार नही बनाया जा सकता है। यदि प्रार्थी उक्त आदेश से व्यथित है तो पुनर्विलोकन के बजाय उसे विधि में उपलब्ध अन्य उपचार की तलाश करना चाहिये। नजरसानी एक ओर अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकती। उपरोक्त आलोक में आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान खध्डपीठ द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक् एवं विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त ही नजरसानीधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर प्रकट नहीं होती है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य आदेश निरस्त करने का कोई समुचित एवं न्यायोचित कारण प्रकट नहीं होता है।

परिणामतः नजरसानी प्रार्थना पत्र ग्राहयता के स्तर पर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य